आश्रम की जमीनों के बारे में लगाये गये आरोपों का भंडाफोड़

एकतरफा झूठी बातें प्रचारित करके पूज्य बापूजी की उज्ज्वल छवि को धूमिल करने के घृणित प्रयासों की शृंखला में कुछ दिनों से यह विवाद उत्पन्न किया गया कि अहमदाबाद आश्रम के नदी-तट की ५१,१०१ चौ. मीटर जमीन पर संस्था ने अतिक्रमण किया है । सच्चाई यह है कि नदी-किनारे की जमीन पहले भी खुली पड़ी थी और अभी भी खुली है । वर्ष में केवल दो-तीन बड़े सत्संग-कार्यक्रमों में तीन-चार दिन देश-विदेश से आनेवाली आम जनता के मात्र सत्संग-श्रवण हेतु बैठने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जैसे गुजरात सरकार द्वारा नदी-तट पर पतंग महोत्सव का आयोजन होता है, गिरनार में भी परिक्रमा करते हैं व मेले का आयोजन होता है । इसमें अतिक्रमण का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

इसके अलावा सर्वे नं. २८२-अ में जिस १५,४५१ चौ. मीटर जमीन के बारे में विवाद खड़ा किया गया है, उस जमीन पर भी संस्था के द्वारा कोई अतिक्रमण या निर्माणकार्य नहीं किया गया है, बल्कि संस्था के द्वारा शैक्षणिक कार्यों के लिए सन् २००७ में इस भूमि की शासन से माँग भी की गयी थी और यह मूलभूत शर्त होती है कि जमीन खुली हो तभी आप माँग कर सकते हो । शासन की ओर से पहले भी कई बार पटवारी के द्वारा जाँच की गयी और संबंधित फाइल में यह उल्लिखित है कि उक्त स्थान पर जमीन बिल्कुल खुली है, फिर भी अतिक्रमण है ऐसा उछाला जा रहा है यह कितना हास्यास्पद है ! उल्लेखनीय है कि उक्त जमीन का उपयोग भी मात्र दो-तीन बड़े सत्संग-कार्यक्रमों में तीन-चार दिन आम जनता के भोजन हेतु पंडाल लगाने में किया जाता है । यहाँ किसी प्रकार का कोई भी पक्का निर्माणकार्य नहीं किया गया है ।

इसके अलावा आश्रम से कुछ दूरी पर सर्वे नं. २८२-अ में ही आश्रम न्यास को पन्द्रह वर्ष के लिए वनीकरण हेतु १० एकड़ जमीन भाड़ेपट्टे पर दी गयी थी । उस स्थान पर १० एकड़ के बजाय ६.५ एकड़ जमीन ही उपलब्ध थी और बाकी की जमीन के लिए शासन ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जमीन कम पड़े तो आश्रम से सटी हुई जमीन दी जायेगी । उसी क्रम में आश्रम के पास की खाई-खड्डोंवाली जमीन का क्षरण रोकने के लिए वृक्षारोपण किया गया है और शासन व जिलाधीश के उस समय के आदेश के बावजूद आज भी संस्था को ३.५ एकड़ जमीन कम मिली है, जबकि कुप्रचार यह किया जा रहा है कि संस्था ने भूमि पर अतिक्रमण किया है ।

जिस तरह से मीडिया में कुप्रचार हो रहा था कि आश्रम में बुल्डोजर आयेगा और निर्माण तोड़ दिया जायेगा, वह सब कपोलकल्पित व लोगों के मन में आश्रम की स्वच्छ छवि के प्रति संदेह एवं भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास था । सम्पूर्ण भूमि जिस पर आश्रम स्थित है वह आश्रम की मालिकी की ही है और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा समस्त निर्माण आश्रम की अधिकृत मालिकी की भूमि पर ही है ।

सारांश में, जो जमीन पहले भी खुली थी और आज भी खुली है, उसे व्यर्थ में ही कानूनी प्रक्रिया से गुजारकर और शोर-शराबा करके शासन, प्रशासन और मीडिया क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यह पाठकगण अब स्वयं ही समझ जायें ।

इसी प्रकार पेठमाला व गांभोई (जि. साबरकांठा, गुजरात) आश्रमों के बारे में आरोप लगाये जा रहे हैं कि वहाँ पर गैरकानूनी ढंग से जमीन हथियाई गयी है । यह झूठा आवेदन करनेवाला विघ्नसंतोषी था रमेश चौकसी, जो एक नम्बर का ब्लैकमेलर शख्स है । इस आवेदन में दिये गये तर्कों से भ्रमित होकर तहसीलदार ने उस जमीन को शासन को लौटाने का आदेश दिया । उसके विरुद्ध अपील की गयी और दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किये गये, जिसके आधार पर अभी कुछ दिन पहले ही डेप्युटी कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है ।

संत श्री आसारामजी आश्रम द्वारा किये जा रहे आदिवासी-उत्थान के दैवी कार्यों की शृंखला में आदिवासी क्षेत्र भैरवी, जि. नवसारी (गुज.) में छात्रों के लिए छात्रालय एवं योग-प्रशिक्षण, गरीबों के लिए चिकित्सा-सेवा, व्यसनमुक्ति अभियान, गरीबों-अनाथों-विधवाओं में अनाज, भोजन-प्रसाद व जीवनोपयोगी वस्तुओं का वितरण आदि विभिन्न सेवाकार्य किये जाते हैं । इन आदिवासी सेवाकार्यों के लिए संस्था द्वारा सन् १९९३ में वहाँ आश्रम की स्थापना की गयी थी ।

जिस जमीन पर संस्था १९९३ से सत्प्रवृत्ति करती आ रही है, वह जमीन संस्था ने शासन से खरीदी थी तथा उसके मध्य में तथाकथित विवादित जमीन स्थित है । संस्था को जमीन का कब्जा सौंपते समय प्रशासन ने जमीन में निर्माणकार्य दर्शाते हुए जो नक्शा बताया था, उसमें सत्संग-भवन आदि आश्रम को आबंटित भूमि पर ही बताया गया था, जिसमें तहसीलदार एवं सर्कल ऑफिसर के हस्ताक्षर भी हैं और अब संस्था को ग्राम पंचायत द्वारा जो अवैधानिक नोटिस दिया गया है, उसमें यह दर्शाया गया है कि सत्संग-भवन आदि आश्रम को आबंटित जमीन पर नहीं हैं बल्कि आश्रम के पास लगे हुए दूसरे सर्वे नम्बर में हैं, अतः उसे दो दिन में तोड़ दिया जाय । यह नोटिस ग्राम पंचायत ने किसी व्यक्ति-विशेष के दबाव में आकर दिया है, जो गुजरात राज्य पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है । इसके खिलाफ आश्रम ने ग्राम पंचायत को प्रत्युत्तर भी दिया है तथा न्यायालय में भी याचिका दायर की है ।

उक्त भूमि पर 'एडवर्स पजेशन' के सिद्धांत से भी संस्था का कानूनी हक बनता है । अतः इस जमीन के आबंटन हेतु शासन को आवेदन भी दिया गया है, जिस पर शासन में कार्यवाही चालू है । इस प्रकार से भी यह भूमि खाली कराने का ग्राम पंचायत का नोटिस अवैधानिक है । इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी संस्था शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण हल के लिए ग्राम पंचायत, भैरवी के साथ वार्ता भी आयोजित कर रही है, ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके ।

भैरवी आश्रम पिछले १७ वर्षों से निष्काम भाव से आदिवासी-उत्थान के लिए अनेकविध सेवाकार्य कर रहा है । जनसाधारण का यही मानना है कि आश्रम की स्थापना के बाद लोगों के जीवन में काफी रचनात्मक परिवर्तन आया है । आश्रम को अचानक इस तरह का नोटिस दिया जाने से ग्रामवासियों में आश्चर्य व रोष की भावना है । ❐